

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) शिक्षा बाडमेर**कार्यालय आदेश**

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश कमांक शिविरा/ माध्य/साप्र/बी-1/2856/आरपीएससी-2013/17-18 दिनांक 22.02.2018 एवम् 25.02.2018 व 28.02.2018 एवं 07.03.2018 की पालना में चयनित कनिष्ठ सहायकों को निदेशालय स्तर पर काउंसिलिंग के माध्यम से जिला एवं विद्यालय का चयन किये जाने के उपरान्त सलग्न सूची में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-5 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिये नियमानुसार देय नियत मानदेय 14600/- रु. प्रतिमाह (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। इनकी नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 तथा राज्य सरकार के पत्र कमांक प.8(1) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

उक्त नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-द्वितीय (कनिष्ठ सहायक) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 की अनुपालना में अस्थाई परिणाम दिनांक 07.07.2017 को घोषित किये जाने के उपरान्त तथा आवंटित पदों पर नियुक्तियों के संबंध में डी. बी. अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवणसिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्याधीन तथा एसबीसी वर्ग में अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों में से अस्थाई रूप से स्पष्ट रूप से पाये गये अभ्यर्थी जिनका परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कैप्टन गुरुवेन्द्र सिंह एवं अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के अध्याधीन रहेगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे :-

- 1- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार अभ्यर्थी से संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त की जावे। यदि अभ्यर्थी चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत नहीं करता है तो भी आचरण की जांच का इंतजार नहीं किया जावे। एवं अभ्यर्थी से सदाचरण संबंधी शपथ पत्र (undertaking) प्राप्त कर कार्यग्रहण करवाया जावे। बाद पुलिस सत्यापन अभ्यर्थी के आचरण के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। यदि किसी अभ्यर्थी की उनको पूर्व में आवंटित विभाग द्वारा जांच करवा ली गई है तथा जो अभ्यर्थी पहले से ही राज्य सेवा में कार्यरत हैं तो उनका पुनः सत्यापन करवाया जाना आवश्यक नहीं है।
- 2- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं है।
- 3- राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त न्यूनतम शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, इसलिये जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- 4- कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
- 5- अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे। अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में यह भी प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति किमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी किमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनको कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।

4070
09/3/18

Signature
09/3/18

(2)

6- धौलपुर/भरतपुर जिले का जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र क्रमांक प.17(9) कार्मिक/क-2/2015 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसीडब्लू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2015 से जाट समुदाय को राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं होने संबंधी दिशा निर्देशों के क्रम में यदि धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग के किसी अभ्यर्थी, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के चयन वर्ग की रिक्तियों के प्रति चयनित हैं एवं नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।

7- कार्यग्रहण करने वाले आशार्थी का चेहरा एवं उसका आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो का मिलान कर, संतुष्ट होने पर ही कार्यग्रहण करवाया जावे।

8- कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवे।


9- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

10- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से सलग्न प्रपत्र में यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

11- कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 23.03.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें शाला दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें।

नोट :- कस 1 व 2 पर अंकित मेरिट क्रमांक 2884 एवं 4225 जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच में अनुपस्थित रहें हैं जिनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संस्था प्रधान को पाबन्द किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से पूर्व नियुक्ति अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रमाण पत्रों की जांच कराने हेतु निर्देशित किया जावे। नियुक्ति अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच किये जाने के उपरान्त ही कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जायेगी।




(ओमप्रकाश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

दिनांक :- 09/3/18

क्रमांक :- जिशिअ/माध्य/बाड़/संस्था-3/क.सहा./18/ 4070
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- श्रीमान् विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर।
- 2- श्रीमान् शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
- 3- श्रीमान् सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
- 4- श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 5- श्रीमान् उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग जोधपुर।
- 6- संबंधित संस्था प्रधान।
- 7- संबंधित कार्मिक।
- 8- रक्षित पत्रावली।




(ओमप्रकाश शर्मा) 09/3/18
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

क्रमांक :- जिशिअ/माध्य/बाड़/संस्था-3/कनि. सहायक/2018/ 4070 दिनांक :- 09.03.2018

क्र.	मेरिट संख्या	नाम अभ्यर्थी	BIRTHDATE	आवेदित वर्ग	पिता का नाम	पदस्थापन स्थान (रामावि/ राबामावि/ राउमावि/ राबाउमावि)
1	2884	LAXMAN RAM	01/01/1995	BC	NARSINGH RAM	GOVT.SR.SEC.SCHOOL BHUNIYA DHANAU
2	4225	KESHA RAM	30/06/1988	SC	POKARA RAM	GOVT.SEN .SEC.SCHOOL DHANAU DHANAU


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर